

मध्य प्रदेश विधान सभा में
दिनांक 10 जुलाई, 2014 को
पुरःस्थापित हुआ रूप में।

मध्य प्रदेश विधेयक

क्रमांक १४ सन् २०१४

मध्य प्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, २०१४

मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्य प्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है.

संक्षिप्त नाम.

भाग-एक

मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

२. मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा १० में, उपधारा (१) के परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अपूर्ण विराम स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :-

मध्य प्रदेश अधिनियम
क्रमांक २३ सन्
१९५६ का संशोधन.

“परन्तु यह और कि सत्रह लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिक क्षेत्र में, अधिकतम पचासी वार्ड हो सकेंगे”

३. (१) मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक १ सन् २०१४) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

निरसन और व्यावृत्ति

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भाग-दो

मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

४. मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में, धारा ५५ में, उपधारा (१) में, शब्द “एक मास” के स्थान पर, शब्द “पन्द्रह दिन” स्थापित किए जाएं.

मध्य प्रदेश अधिनियम
क्रमांक ३७ सन्
१९६१ का संशोधन.

(२) धारा ८६ में, उपधारा (१), (२) और (४) के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

“(१) राज्य सरकार, परिषद् के लिए धारा ८७ या ८८ के अधीन अधिकारियों की व्यवस्था करने के प्रयोजन से, राज्य के लिए निम्नलिखित नगरपालिक सेवाओं का विहित रीति में गठन कर सकेगी जो,—

- (क) राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा;
- (ख) राज्य नगरीय स्वच्छता सेवा;
- (ग) राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा;
- (घ) राज्य नगरीय वित्त सेवा;
- (ङ) राज्य नगरीय राजस्व सेवा;

कहलाएंगी.

(२) राज्य सरकार, उपधारा (१) के अधीन राज्य नगरपालिक सेवाओं के सदस्यों के लिए, भरती, अर्हता, नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनमान तथा भत्ते चाहे वे किसी नाम से जाने जाते हों, के संबंध में नियम बना सकेगी; और ऋण, पेंशन, अवकाश, उपदान, वार्षिकी, कारुण्य निधि, भविष्य निधि, पदच्युति, सेवा से हटाने, आचरण, विभागीय दण्ड, अपीलें तथा अन्य सेवा शर्तों के संबंध में, शासकीय सेवकों को लागू होने वाले, समय-समय पर यथासंशोधित नियम, राज्य की नगरपालिक सेवाओं के सदस्य को लागू होंगे.

(४) राज्य सरकार, राज्य नगरपालिक सेवाओं के किसी भी सदस्य को एक नगरपालिका से दूसरी नगरपालिका में स्थानांतरित कर सकेगी.

(३) धारा ८७ में, उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(२) परिषद् का मुख्य नगरपालिका अधिकारी राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होगा और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा.”

(४) धारा ८८ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

राज्य की
नगरपालिक सेवाओं
के सदस्यों की
नियुक्ति.

“८८. प्रत्येक परिषद् में, धारा ८६ की उपधारा (१) के अधीन नगरपालिक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार, उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए की जाएगी.”

(५) धारा ८९ में, उपधारा (१) और (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं अर्थात् :—

“(१) धारा ८६ की उपधारा (१) के अधीन राज्य नगरपालिका सेवा का गठन होने तक या जब ऐसी सेवा का कोई सदस्य नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हो तो, राज्य सरकार, ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए सरकार के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकेगी या उसी श्रेणी के किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी जो ऐसी सेवा का सदस्य होने के लिए अर्ह हो.

(२) राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या यदि परिषद् के किसी विशेष सम्मेलन में, आधे से अधिक निर्वाचित पार्षद उस प्रभाव के संकल्प के पक्ष में मत दें, तो राज्य सरकार के किसी ऐसे अधिकारी की सेवाएं, जो कि उपधारा (१) के अधीन परिषद् में प्रतिनियुक्त किया गया हो, वापस ले सकेगी.”

(६) धारा ९० में,—

(एक) उपधारा (२) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अपूर्ण विराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“परन्तु इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उसी श्रेणी की नगरपालिक परिषद् के मुख्य नगरपालिका अधिकारी के तत्समान वेतनमान का होना चाहिए.”;

(दो) उपधारा (३) में, पूर्ण विराम के स्थान पर अपूर्ण विराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“परन्तु इस प्रकार अभिनियोजित व्यक्ति उसी श्रेणी की नगरपालिक परिषद् के मुख्य नगरपालिका अधिकारी के तत्समान वेतनमान का होना चाहिए.”

(७) धारा ९१ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“९१. धारा ९० के उपबंध अन्य नगरपालिक सेवाओं के सदस्यों के छुट्टी पर रहने के दौरान व्यवस्था अधिकारी या करने के लिए उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि वे मुख्य नगरपालिका अधिकारी के मामले में लागू इंजीनियर के छुट्टी पर रहने की अवधि में व्यवस्था होते हैं.”

(८) धारा ९४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“९४. (१) प्रत्येक परिषद्, धारा ९५ के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए तथा धारा ८६ की उपधारा (१) के अधीन राज्य नगरपालिक सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति के अतिरिक्त, ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी नियुक्त कर सकेगी, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार उसके कर्तव्यों के सुचारू रूप से पालन के लिए आवश्यक तथा उचित हों। कर्मचारीवृंद की नियुक्ति.

(२) परिषद् ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी कि राज्य सरकार इस संबंध में अनुमोदित करे, अस्थायी स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त कर सकेगी.

(३) राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, कार्यालय अधीक्षक और लेखापाल की नियुक्ति राज्य सरकार की पुष्टि के अध्यधीन होगी और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, ऐसे किसी भी पद का या अन्य किसी ऐसे अधिकारी या सेवक के पद का जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए, सृजन नहीं किया जाएगा या उसे समाप्त नहीं किया जाएगा और उनकी उपलब्धियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा ऐसे पद पर की जाने वाली प्रत्येक नियुक्ति और उससे पदच्युति इसी प्रकार के अनुमोदन के अध्यधीन होगी.

(४) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उपधारा (३) में वर्णित या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी अधिकारी को एक मास से अधिक कालावधि का निलंबन आदेश नहीं दिया जाएगा और ऐसे किसी भी अधिकारी द्वारा दिया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा.

(५) जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निदेश न दे, उपधारा (३) में वर्णित या उसके अधीन विनिर्दिष्ट नगरपालिक अधिकारियों तथा सेवकों के अतिरिक्त अन्य नगरपालिक अधिकारियों तथा सेवकों को नियुक्त करने की शक्ति प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल में निहित होगी.

(६) राज्य सरकार, उपधारा (१) और (२) में वर्णित परिषद् के किसी अधिकारी या सेवक को, उसी श्रेणी की किसी अन्य परिषद् में स्थानान्तरित कर सकेगी.

(७) राज्य सरकार उन अधिकारियों तथा सेवकों के वर्ग या श्रेणियां विहित कर सकेगी जिन्हें मुख्य नगरपालिका अधिकारी, प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल, विहित प्राधिकारी या इस संबंध में सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा जिसमें निन्दा के अतिरिक्त अन्य कोई विभागीय दण्ड दिया गया हो.

(८) उपधारा (७) के अधीन की गई अपील की सुनवाई करने वाले प्राधिकारी को उस दण्ड को, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, रद्द करने या कम करने की शक्ति होगी.

(९) प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल, राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से, विषय विशेषज्ञों और कार्मिकों को विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए संविदा पर नियुक्त कर सकेगा और ऐसे विषय विशेषज्ञों और कार्मिकों की संविदा पर नियुक्ति की रीति तथा निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं.”

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा १० किसी नगरपालिक निगम में वार्डों की संख्या और उनके विस्तार के अवधारण का उपबंध करती है। इस धारा के अधीन किसी भी नगरपालिक निगम में अधिकतम सत्तर वार्ड हो सकेंगे। यह उपबंध वर्ष १९९४ से प्रभावशील है। २० वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् अधिकांश नगरपालिक निगमों के अनेक नगरों की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। इसी प्रकार, नगरपालिक सीमाओं में विस्तार के कारण इन्दौर और भोपाल जैसे नगरों की जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से वार्डों में जनसंख्या के विस्तार के कारण उनका प्रबंध कठिन हो गया है। अतएव, सत्रह लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिक क्षेत्रों में वार्डों की संख्या की अधिकतम सीमा को पुनरीक्षित करते हुए पचासी किया जाना अपरिहार्य हो गया है।

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अतः मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक १ सन् २०१४) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था। अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान-मण्डल का एक अधिनियम, साधारण निर्वाचन के पश्चात् परिषद् का प्रथम सम्मेलन बुलाने से संबंधित मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा ५५ के उपबंध को संशोधित करते हुए लाया जाए। विद्यमान उपबंध के अधीन परिषद् का प्रथम सम्मेलन एक मास के भीतर बुलाया जाना अपेक्षित होता है जो कि अत्यधिक है और यह किसी परिषद् का कार्यकाल प्रारंभ होने की अवधि को भी प्रभावित करता है। मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ में ऐसा सम्मेलन पन्द्रह दिन के भीतर बुलाने का उपबंध है। अतएव, इस असंगति को दूर करने की दृष्टि से, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है।

३. उपरोक्त के अलावा, नगरपालिक सेवाओं को और सुदृढ़ करने की दृष्टि से विद्यमान सेवाओं अर्थात् राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा, राज्य नगरीय स्वच्छता सेवा तथा राज्य नगरीय अभियांत्रिकी सेवा के नामों को संशोधित करते हुए राज्य नगरीय वित्त सेवा तथा राज्य नगरीय राजस्व सेवा के नाम से दो नई नगरपालिक सेवाएं गठित किया जाना प्रस्तावित है। यह भी प्रस्तावित है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी की अनुपस्थिति में राज्य सरकार समान हैसियत के किसी अधिकारी को मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयोजन से नगरपालिक अधिकारियों तथा सेवकों से संबंधित अधिनियम की धारा ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१ तथा ९४ में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :
तारीख ३ जुलाई, २०१४.

कैलाश विजयवर्गीय
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, २०१४ के जिन खण्डों द्वारा विधायिनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है:—

खण्ड-४ (१)—नगरपालिका सेवाओं का गठन करने,

(२)—नगरपालिक सेवाओं के सदस्यों के लिये भर्ती, अर्हता, नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनमान तथा भत्ते नियत किए जाने,

खण्ड-८ (२)—अस्थायी स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किए जाने संबंधी निर्बन्धन एवं शर्तें निर्धारित किए जाने,

(७)—उन अधिकारियों तथा सेवकों के वर्ग या श्रेणियाँ सुनिश्चित किए जाने जिन्हें मुख्य नगरपालिका अधिकारी, प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल विहित प्राधिकारी या इस संबंध में सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार जिसमें निन्दा के अतिरिक्त अन्य कोई विभागीय दण्ड दिया गया हो, तथा

(९) विशेषज्ञों और कार्मिकों की संविदा पर नियुक्ति की रीति तथा निर्बन्धन और शर्तों के संबंध में,

राज्य सरकार नियम बना सकेगी. उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप के होंगे.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ की धारा १० किसी नगरपालिक निगम में वार्डों की संख्या और उनके विस्तार के अवधारण का उपबंध करती है. इस धारा के अधीन किसी भी नगरपालिक निगम में अधिकतम ७० वार्ड हो सकेंगे. यह उपबंध वर्ष १९९४ से प्रभावशील है. २० वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् अधिकांश नगरपालिक निगमों के अनेक नगरों की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है. इसी प्रकार नगरपालिक सीमाओं में विस्तार के कारण इन्दौर और भोपाल जैसे नगरों की जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है जिसके परिमाणस्वरूप बहुत से वार्डों में जनसंख्या में विस्तार के कारण उनका प्रबंध कठिन हो गया है. अतएव १७ लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिक क्षेत्रों में वार्डों की संख्या की अधिकतम सीमा को पुनरीक्षित करते हुए ८५ किया जाना अपरिहार्य हो गया था. विधान सभा का सत्र चालू नहीं था. अतः मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक १ सन् २०१४) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था।

भगवानदेव ईसरानी

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) से उद्धरण

* * * * *

धारा १०.—वार्डों की संख्या तथा विस्तार का अवधारण तथा निर्वाचनों का संचालन,—

- (१) राज्य सरकार समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक नगरपालिक क्षेत्र में गठित किये जाने वाले वार्डों की संख्या तथा विस्तार का अवधारण करेगी :

परन्तु किसी नगरपालिक क्षेत्र में वार्डों की कुल संख्या सत्तर से अधिक और चालीस से कम नहीं होगी.

- (२), (३), (४) * * * * *

* * * * *

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) से उद्धरण

* * * * *

धारा ५५.—साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सम्मिलन,—

- (१) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, विहित प्राधिकारी के अनुमोदन से, प्रत्येक साधारण निर्वाचन के एक मास के भीतर एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने के प्रयोजन के लिए निर्वाचित पार्षदों का एक सम्मिलन बुलाएगा.

- (२) * * * * *

* * * * *

धारा ८६.—राज्य नगरपालिका सेवा का गठन,—

- (१) राज्य सरकार, परिषद् के लिए धारा ८७ या ८८ के अधीन अधिकारियों की व्यवस्था करने के प्रयोजन से, राज्य के लिये निम्नलिखित नगरपालिका सेवाओं का विहित रीति में गठन कर सकेगी जो,—

- (क) राज्य नगरपालिका सेवा (कार्यपालक);
 (ख) राज्य नगरपालिका सेवा (स्वास्थ्य); और
 (ग) राज्य नगरपालिका सेवा (इंजीनियरिंग)

कहलायेंगी.

- (२) राज्य सरकार, राज्य नगरपालिका सेवा के सदस्यों की भरती, अर्हता, नियुक्ति, पदोन्नति, छुट्टी, वेतनमान, समस्त भत्तों, चाहे वे किसी भी नाम से कहे जाते हों, ऋणों, निवृत्ति वेतन, उपादन, वार्षिकी, कारूप्य, निधि, भविष्य निधि, पदच्युति, सेवा से हटाये जाने, आचरण विभागीय दंड, अपीलें तथा अन्य सेवा शर्तों के संबंध में नियम बना सकेगी.

- (३) * * * * *

- (४) राज्य सरकार, राज्य नगरपालिका सेवा के किसी भी सदस्य को एक परिषद् से दूसरी परिषद् में स्थानांतरित कर सकेगी.

* * * * *

धारा ८८.—स्वास्थ्य अधिकारी और इंजीनियर,—

- (१) प्रत्येक ऐसी परिषद् में जिसकी वार्षिक आय पांच लाख रुपये या उससे अधिक है, उसके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए एक स्वास्थ्य अधिकारी और एक इंजीनियर होगा।
- (२) स्वास्थ्य अधिकारी और इंजीनियर राज्य नगरपालिका सेवा (क्रमशः स्वास्थ्य तथा इंजीनियरी) के सदस्य होंगे और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

* * * * *

धारा ८९.—राज्य नगरपालिका सेवा का गठन होने तक उसमें नियुक्ति आदि,—

- (१) धारा ८६ की उपधारा (१) के अधीन राज्य नगरपालिका सेवा का गठन होने तक या जब ऐसी सेवा का कोई सदस्य यथास्थिति, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी या इंजीनियर के रूप में नियुक्ति के लिये उपलब्ध नहीं है, तो राज्य सरकार यथास्थिति मुख्य नगरपालिका अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी या इंजीनियर के रूप में कार्य करने के लिये सरकार के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकेगी या किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी जो ऐसी सेवा का सदस्य होने के लिए अर्हित है।

(१-ए) * * * * *

- (२) राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या यदि निर्वाचित पार्षदों में से आधे से अधिक पार्षद परिषद् के विशेष सम्मेलन में उस प्रभाव के संकल्प के पक्ष में मत दें, तो यथास्थिति ऐसे मुख्य नगरपालिका अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी या इंजीनियर की सेवाएं, जो राज्य सरकार का अधिकारी है और परिषद् में उपधारा (१) के अधीन प्रतिनियुक्त किया गया है, वापस ले सकेगी।

* * * * *

धारा ९०.—मुख्य नगरपालिका अधिकारी की अनुपस्थिति छुट्टी के दौरान व्यवस्था,—

- (१) * * * * *
- (२) मुख्य नगरपालिका अधिकारी के, एक समय में तीस दिन से अधिक कालावधि तक छुट्टी पर होने के कारण अनुपस्थिति रहने के दौरान राज्य सरकार किसी व्यक्ति को मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त कर सकेगी।
- (३) मुख्य नगरपालिका अधिकारी के एक समय में तीस दिन से अनधिक कालावधि तक छुट्टी पर होने के कारण अनुपस्थिति रहने के दौरान राज्य सरकार मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के तथा कृत्यों को करने के लिए ऐसी स्थानीय व्यवस्था कर सकेगी जैसी आवश्यक हो।

(४) * * * * *

* * * * *

धारा ९१.—स्वास्थ्य अधिकारी या इंजीनियर की अनुपस्थिति छुट्टी के दौरान व्यवस्था,—

धारा ९० के उपबंध स्वास्थ्य अधिकारी तथा इंजीनियर के मामले में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे मुख्य नगरपालिका अधिकारी के मामले में लागू होते हैं।

* * * * *

धारा ९४.—कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति,—

- (१) प्रत्येक परिषद्, जिसकी वार्षिक आय पांच लाख रुपये या उससे अधिक है, धारा ९५ के अधीन विरचित नियमों के अधीन रहते हुए, एक राजस्व अधिकारी तथा एक लेखा अधिकारी नियुक्त करेगी और ऐसे अन्य अधिकारी तथा सेवक भी नियुक्त कर सकेगी जो उसके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक एवं उचित है।

- (२) प्रत्येक परिषद्, जो उपधारा (१) के अधीन नहीं आती हो, धारा ९५ के अधीन विरचित नियमों के अध्यक्षीन रहते हुए, स्वच्छता निरीक्षक, सब इंजीनियर, राजस्व निरीक्षक तथा लेखापाल नियुक्त करेगी और ऐसे अन्य अधिकारी तथा सेवक भी नियुक्त कर सकेगी जो कि उसके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिये आवश्यक तथा उचित हो :

परन्तु ऐसी परिषद् अंशकालिक स्वास्थ्य अधिकारी या इंजीनियर को ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर नियुक्त कर सकेगी जिन्हें राज्य सरकार इस संबंध में अनुमोदित करे.

(३) राज्य सरकार,—

- (एक) किसी भी परिषद् की दशा में यथास्थिति उपधारा (१) या (२) के उपबंधों को ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, जिन्हें अधिरोपित करना वह उचित समझे, शिथिल कर सकेगी, या
- (दो) किसी भी परिषद् को इस बात की अनुज्ञा दे सकेगी कि वह ऐसे किन्हीं दो या समस्त अधिकारियों के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये एक व्यक्ति चाहे अस्थायी रूप से या अन्यथा नियुक्त करे.
- (४) राजस्व अधिकारी, लेखा अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक, सब-इंजीनियर, राजस्व निरीक्षक तथा लेखापाल की नियुक्ति राज्य शासन की पुष्टि के अध्यक्षीन होगी और राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसे किसी भी पद का या किसी अन्य ऐसे अधिकारी या सेवक के पद का, जो कि राज्य शासन द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाय, सृजन नहीं किया जावेगा या उसे उत्सादित नहीं किया जायेगा और उनकी उपलब्धियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा ऐसे पद पर की जाने वाली प्रत्येक नियुक्ति और उससे पदच्युति उसी प्रकार के अनुमोदन के अध्यक्षीन होगी.
- (५) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई भी ऐसा निलम्बन आदेश जो एक मास से अधिक कालावधि के लिए है, किसी अधिकारी के विरुद्ध जो उपधारा (१) में वर्णित है या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किया गया है, पारित नहीं किया जायेगा और किसी भी ऐसे अधिकारी द्वारा दिया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा.
- (६) जब तक राज्य सरकार अन्यथा निदेश न दे, उपधारा (४) में वर्णित या उसके अधीन विनिर्दिष्ट नगरपालिका अधिकारियों तथा सेवकों से भिन्न नगरपालिका अधिकारियों तथा सेवकों को नियुक्त करने की शक्ति प्रेसीडेंट-इन-कौंसिल में निहित होगी.
- (७) राज्य सरकार परिषद् के किसी भी ऐसे पदाधिकारी या सेवक को, जो कि उपधारा (१) तथा (२) में वर्णित हो तथा जिसकी कुल उपलब्धियां एक सौ रुपये से अधिक होती हों, किसी भी अन्य परिषद् में स्थानांतरित कर सकेगी.
- (८) राज्य सरकार उन अधिकारियों तथा सेवकों के वर्ग या श्रेणियां विहित कर सकेगी जिन्हें मुख्य नगरपालिका अधिकारी, प्रेसीडेंट-इन-कौंसिल विहित प्राधिकारी या इस निमित्त सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा जिसमें परिनिंदा से भिन्न अन्य कोई विभागीय दंड दिया गया है.
- (९) उपधारा (८) के अधीन की गई अपील की सुनवाई करने वाले प्राधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह उस दंड को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अपास्त कर दे या कम कर दे.

*

*

*

*

*

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.